मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025 (श्रावण 15, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री सत्यपाल मलिक, पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहाड़ से पानी का एक सैलाब और उसके साथ ढेर सारे मलबे के अचानक बह जाने के कारण उसकी चपेट में आने से अनेक लोगों की मृत्यु होने पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गये.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य, डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री तथा श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी शोकोद्गार व्यक्त किये गए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा कुछ देर मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाकर विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

2. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''शून्यकाल की सूचनाएं भोजनावकाश के बाद ली जाएंगी. आज भोजनावकाश नहीं होगा, सभी सदस्यों के लिए भोजन लॉबी में उपलब्ध रहेगा, आप सभी अपनी-अपनी सुविधानुसार भोजन प्राप्त कर सकते है.''

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ 22-02-2019-आठ, दिनांक 14 जनवरी, 2025,
(ख) क्रमांक 51/1813970/2024-आठ, दिनांक 14 जनवरी, 2025,
(ग) क्रमांक 305-1763-2022-आठ, दिनांक 20 फरवरी, 2025,
(घ) क्रमांक TRP-03-0001-2025-Sec-1-आठ-, दिनांक 28 मार्च, 2025,
(ङ) क्रमांक 857/2320711/2024/आठ, दिनांक 9 अप्रैल, 2025,
(च) क्रमांक 858/1813970/2024/आठ, दिनांक 9 अप्रैल, 2025,
(छ) क्रमांक 994/TRP/8/0003/2025-Sec-1/08, दिनांक 28 अप्रैल, 2025,
(ज) क्रमांक 1400-TRP-8-0003-2025-Sec-01-आठ, दिनांक 6 जून, 2025 (शुद्धि पत्र), तथा
(झ) क्रमांक 3-3-4-0002-2025-Sec-01-आठ (TRP), दिनांक 19 जून, 2025 पटल पर रखी गईं.

4.अध्यक्षीय घोषणा

श्रीकृष्ण नाटिका का प्रस्तुतिकरण किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, माननीय सदस्यगण, आज सायंकाल 7.00 बजे मानसरोवर सभागार में मध्यप्रदेश और कृष्ण का जो संबंध है इस पर भोपाल के बहुत सारे कलाकारों ने एक बहुत अच्छी नाटिका तैयार की है उसका प्रस्तुतिकरण होगा. हम सभी लोग उस समय उपस्थित रहें तो मैं समझता हूं कि मध्यप्रदेश और कृष्ण जी के संबंध के बारे में हमारी जानकारी भी बढ़ेगी और आनंद भी होगा. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, सभी मंत्रीगण और सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें.

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परन्तु सदस्यों की ओर से प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाए गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए नियम को शिथिल कर मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें.

(1) **डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य** ने विधान सभा क्षेत्र अमरपाटन के उमराही मधुरियान की भूमि को राजस्व अभिलेखों में मध्यप्रदेश शासन दर्ज नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री करण सिंह वर्मा ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य** ने बुरहानपुर मंडी के इन्ट्रीगेटेड पैक हाउस (केला कोल्ड स्टोरेज) में चोरी से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री एदल सिंह कंषाना ने चर्चा का उत्तर दिया.

(3) **श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य** ने डिण्डौरी क्षेत्र के विद्यालयों के भवन जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जनजातीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. डॉ. कुंवर विजय शाह ने चर्चा का उत्तर दिया.

(4) **श्रीमती गायत्री राजे पवार, सदस्य** ने देवास क्षेत्र से बहने वाली नागधम्मन नदी में इंडस्ट्रीज का केमिकलयुक्त पानी मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री, पर्यावरण का ध्यान आकर्षित किया. श्री दिलीप अहिरवार ने चर्चा का उत्तर दिया.

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

(1) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सभापति** ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 6 में क्रमांक 1 से 66 पर जिन याचिकाओं का उल्लेख किया गया है उनको प्रस्तुत किया हुआ माना गया तद्नुसार निम्नांकित याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(1) **श्री विजय रेवनाथ चौरे (जिला**-छिन्दवाड़ा)
(2) **सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत (जिला**-छतरपुर)
(3) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला**-पन्ना)
(4) **श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला**-सिवनी)
(5) **श्री वीरसिंह भूरिया (जिला**-झाबुआ)
(6) **श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला**-दमोह)
(7) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला**-जबलपुर)
(8) **श्री दिनेश गुर्जर (जिला**-मुरैना)
(9) **श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला**-छिन्दवाड़ा)

(10) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(11) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(12) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
(13) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(14) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर)
(15) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(16) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
(17) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(18) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(19) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-मुरैना)
(20) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(21) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(22) श्री मोंटू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(23) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(24) श्री सुरेश राजे (जिला-भोपाल)
(25) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(26) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(27) श्री नीरज सिंह ठाकुर (जिला-जबलपुर)
(28) श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(29) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(30) डॉ. प्रभुराम चौधरी (जिला-रायसेन)
(31) श्री बृजबिहारी पटैरिया (जिला-सागर)
(32) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(33) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला- शिवपुरी)
(34) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(35) श्री दिनेश जैन बोस (जिला-उज्जैन)
(36) श्री भैरो सिंह बापू (जिला-आगर-मालवा)
(37) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(38) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(39) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(40) श्री संतोष वरकड़े (जिला-जबलपुर)
(41) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(42) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(43) श्री अरविन्द पटैरिया (जिला-छतरपुर)
(44) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(45) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-छतरपुर)
(46) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(47) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(48) श्री सचिन बिरला (जिला-खरगोन)
(49) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(50) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(51) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)
(52) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
(53) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(54) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(55) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव (जिला-खरगोन)
(56) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(57) श्री बाला बच्चन (जिला-बड़वानी)
(58) श्री बाबू जन्डेल (जिला-श्योपुर)
(59) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)

(60) **श्री प्रदीप पटेल (जिला-**मऊगंज)
(61) **श्रीमती छाया गोविन्द मोरे (जिला-** खण्डवा)
(62) **श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-**बालाघाट)
(63) **श्री रमाकांत भार्गव (जिला-** भोपाल)
(64) **श्री राजेन्द्र भारती (जिला-**दतिया)
(65) **इंजीनियर हरिबाबू राय (जिला-**अशोकनगर)
(66) **इंजीनियर प्रदीप लारिया (जिला-**सागर)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) **श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री भैरो सिंह बापू
2. श्री ओमप्रकाश सखलेचा

सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए.

3. श्री विजय रेवनाथ चौरे
4. श्री भगवान दास सबनानी
5. श्री दिनेश गुर्जर
6. श्री बाला बच्चन

तदुपरांत **श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने.

श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री सोहन लाल बाल्मीक
2. श्री रामेश्वर शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

3. श्री आशीष गोविन्द शर्मा

तदुपरांत **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
खण्ड 2,3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने.

श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

9. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, श्री गौतम टेटवाल, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025 एवं मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (निरसन) विधेयक, 2025 दोनों विधेयक एक साथ प्रस्तुत करेंगे, चर्चा एक साथ होगी, पारित अलग-अलग होगें.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(3) **श्री गौतम टेटवाल, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

(4) **श्री गौतम टेटवाल, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (निरसन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. डॉ. हिरालाल अलावा
2. श्री फूलसिंह बरैया
3. डॉ. चिन्तामणि मालवीय
4. श्री कमलेश्वर डोडियार

तदुपरांत **श्री गौतम टेटवाल, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

खण्ड 2 से 16 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने.

श्री गौतम टेटवाल, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

श्री गौतम टेटवाल, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (निरसन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) पारित किया जाय.

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

11. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, माननीय वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जी के चार विधेयक है. मैं समझता हूं कि चारों को एक साथ वित्त मंत्री जी प्रस्तुत कर दे और उन पर एक साथ चर्चा करवा कर पृथक-पृथक उसे पारित किया जायेगा.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(5) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

(6) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

(7) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** ने प्रस्ताव किया कि रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

(8) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री बाला बच्चन

सभापति महोदया (श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी) पीठासीन हुईं.

2. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
3. श्री राजन मण्डलोई
4. श्री ओमप्रकाश सखलेचा
5. श्री दिनेश जैन बोस
6. श्री अनिरूद्ध माधव मारू
7. श्री फूलसिंह बरैया
8. श्री नीरज सिंह ठाकुर
9. श्री जयवर्द्धन सिंह
10. श्री भंवर सिंह शेखावत
11. श्री हरदीप सिंह डंग
12. श्री नारायण सिंह पट्टा
13. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
14. श्री सुरेश राजे
15. श्री रजनीश हरवंश सिंह
16. श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

तदुपरांत **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** ने चर्चा का उत्तर दिया.

13. बहिर्गमन

उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) के चर्चा के उत्तर के दौरान श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा यह कहते हुए बहिर्गमन किया गया कि सरकार द्वारा सिर्फ अचल संपत्ति पर, रिवाल्वर, पिस्टल के नवीनीकरण के लिए, कन्सेंट डीड के लिए जनता पर सिर्फ टैक्स लगाया जा रहा है. इसलिए कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

14. अध्यक्षीय घोषणा.

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में उल्लेखित कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

खण्ड 2 से 3 तक इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

खण्ड 2 से 15 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

खण्ड 2, 3, 4 तथा 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

खण्ड 2, 3, 4 तथा 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

16. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार : -

(1)	डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य ने बाल श्रवण योजना में व्यापक भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों पर कार्यवाही न होना।
(2)	श्री बाबू जण्डेल, सदस्य ने ग्राम मातासूला से सलापुरा (श्योपुर) मुख्य नहर पुल तक डामरीकरण सड़क मार्ग के संबंध में।
(3)	श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा, सदस्य ने द्रौड़ी (झुनकर) माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने बावत्।

(4)	श्री सुरेश राजे, सदस्य ने डबरा शहर स्थित रेलवे ओव्हर ब्रिज के जीर्णेद्धार बाबत्।
(5)	श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य ने क्षेत्रीय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में।
(6)	डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने खाचरौद नागदा क्षेत्र में बढ़ती लव जेहाद की घटनाओं के संबंध में।
(7)	श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य ने जिला बालाघाट के लालबर्रा सोनेवानी रेंज में एक बाघ की नृशंस हत्या की जांच एसआईट से कराया जाना ।
(8)	श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य ने जिला सिवनी एवं बालाघाट में पृथक से नगर ग्राम निवेश का कार्यालय प्रारंभ किया जाना।
(9)	डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने नर्मदापुरम् एवं इटारसी में शराब की होम डिलेवरी का आपराधिक और अनैतिक व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाना।
(10)	श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य ने कस्बा आनंदपुर तहसील लटेरी जिला विदिशा में महाविद्यालय स्थापित किया जाना।
(11)	डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य ने जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में नष्ट हुई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाना।
(12)	श्री ऋषि अग्रवाल, सदस्य ने गुना स्थित हिन्दुओं के प्राचीन शिव मंदिर केदारनाथ धाम को प्रशासन द्वारा बंद किया जाना।
(13)	श्री नारायण सिंह 'पट्टा', सदस्य ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी आदेश के संबंध में ।
(14)	डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य ने मनावर में बायपास मार्ग स्वीकृत किया जाना।
(15)	श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य ने परसापानी निवासी दो युवकों की जघन्य हत्या एवं आरोपियों पर कार्यवाही न की जाने से उत्पन्न स्थिति ।
(16)	श्री प्रीतम लोधी, सदस्य ने ईसागढ़ से पहाड़ाखुर्द मार्ग के 6 कि.मी.क्षेत्र में सड़क का कार्य गुणवत्ता विहीन होना ।
	संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं.

17. अध्यक्षीय व्यवस्था

जो शून्यकाल की सूचना दी गई है उस पर सीमित रहने विषयक

श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य द्वारा प्रस्तुत अपनी शून्यकाल की सूचना में अनेक विषयों का समावेश कर दिये जाने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि- हमेशा हम ध्यान रखें कि शून्यकाल की सूचना किसी विषय को लेकर दी जाती है और जो सूचना दी जाती है, उसको ही पढा जाता हैं. आपने बहुत सारे विषय बोल दिये. एक ही सूचना में कई विषय नहीं आने चाहिए.

18. अध्यक्ष महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में आज एक ही दिन में 8 विधेयक पारित हुये और सभी में चर्चा हुई. यह आपके कुशल संचालन का प्रभाव है. मुझे याद आता है कि एक बार स्वर्गीय रोहाणी जी ने भी उनकी अध्यक्षता में 8 विधेयक पारित किये थे, पर उस समय 7-8 बजे तक सदन चला था. आज आपने 5 बजे के पहले ही हम सभी को सुन लिया. अध्यक्ष जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कृतज्ञता व्यक्त की है, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं और मेरी भी वही भावना है. इस प्रकार इस सदन में पक्ष-विपक्ष चलता रहे और सौहार्द्रपूर्ण स्थिति बनी रहे मैं भी यही चाहता हूं.

19. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

प्रदेश में किसानों पर विद्युत प्रकरण बनाकर पेनाल्टी एवं कनेक्शनधारी किसानों के ऊपर अवैध कनेक्शन बताकर ब्याज की बसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री महेश परमार, सदस्य ने चर्चा उठायी.

चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

1. श्री महेश परमार
2. श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर

3. श्री पंकज उपाध्याय
4. श्री भगवानदास सबनानी
5. श्री सोहनलाल बाल्मीक

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

20 सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उद्गार व्यक्त किए गए –

मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा का षष्ठम् सत्र अब समाप्ति की ओर है. इस सत्र में 08 बैठकें सम्पन्न हुईं, जिसमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य सम्पन्न हुए.

इस सत्र में सदन ने अन्य कार्यों के अलावा वर्ष 2025-26 की प्रथम अनुपूरक मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान की.

इस सत्र में कुल 3377 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 1718 तारांकित 1659 अतारांकित प्रश्न थे. ध्यानाकर्षण की कुल 840 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 32 सूचनाएं ग्राह्य हुईं. शून्यकाल की 308 सूचनाएं एवं 592 याचिकाएं प्राप्त हुई तथा 14 शासकीय विधेयक पारित किये गये. इसके साथ ही अनेक समितियों के 51 प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुए.

विधानसभा की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समितियों के लिए 11-11 सदस्यों का निर्वाचन किया गया.

इस सत्र में नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय प्रदेश में लगातार कम होते भू-जल स्तर एवं जल संग्रहण संरचनाओं के सतत समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सदन में लगभग 5 घण्टे 40 मिनट गंभीरता से विस्तृत चर्चा करने के साथ ही नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा भी हुई. इस सत्र में सदन की बैठकें देर रात तक तथा भोजनावकाश समाप्त कर चली, जिसके द्वारा सारगर्भित चर्चा कर विषयों को निपटाया गया.

इस सत्र में शासन की ओर से 5 वक्तव्य भी सदन में प्रस्तुत हुए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा विकसित भारत, विकसित मध्यप्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए 'मेक-इन मध्यप्रदेश' एवं 'निवेश प्रोत्साहन' पर दिये गये अपने वक्तव्य में प्रदेश की समृद्धि, राष्ट्रीय प्रगति में प्रदेश की भूमिका और प्रदेश में रोजगार के बेहतरीन अवसर सुनिश्चित किये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों और भविष्य की संभावनाओं से सदन को अवगत कराया गया. इस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई.

मध्यप्रदेश विधान सभा देश की सर्वश्रेष्ठ विधान सभाओं में से एक है जो अपने नवाचारों के लिये पहचानी जाती है। इसी क्रम में दिनांक 28 जुलाई 2025 को संपन्न कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष जो अब हम सबके बीच में नहीं है, उनके जन्मदिवस के अवसर पर विधान सभा परिसर में उनका चित्र लगाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाना प्रारंभ किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में दिनांक 2 अगस्त 2025 को मध्यप्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल, दिनांक 3 अगस्त को मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री गुलशेर अहमद तथा दिनांक 5 अगस्त 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री पं. द्वारका प्रसाद मिश्र के जन्मदिवस के अवसर पर विधान सभा के सेन्ट्रल हॉल में उन्हें पुष्पांजलि के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किये गये.

लोकतंत्र विचार-विमर्श, सामंजस्य और सर्वसम्मति से किसी निर्णय पर पहुंचने की पद्धति है. हमारी संसदीय व्यवस्था भी इन्हीं आदर्शों पर आधारित है. सदन की कार्यवाही नियम-प्रक्रियाओं से संचालित होती हैं और ये नियम प्रक्रियाएं तभी तक कायम रह सकती हैं जब सदस्यों में इनका पालन करने तथा स्वीकारने की भावना हो. पक्ष और विपक्ष की दलीय प्रतिबद्धताएं भिन्न हो सकती हैं लेकिन सबसे ऊपर होता है लोकहित, जिसके लिये ये सारी प्रणाली संचालित है. माननीय सदस्यों द्वारा इस सत्र में विधायी, वित्तीय और अनेक लोक महत्व के विषयों पर की गई चर्चायें इस बात का प्रतीक है कि माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों और कार्यों के प्रति कितने सजग और प्रतिबद्ध है.

इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए, मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री सहित सभी माननीय मंत्रीगणों, सभापति तालिका के सदस्यों, सभी माननीय सदस्यों, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े महानुभावों, विधान सभा के प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय तथा शासन के अधिकारियों / कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद देता हूं.

मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को आगामी रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस तथा जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करता हूं.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने उद्गार व्यक्त किये.

21. अध्यक्षीय घोषणा

सत्र समापन भाषण के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार व्यक्त किये गये कि नेता प्रतिपक्ष, नये विधायकों एवं पूर्व विधायकों ने इन सब चर्चाओं को रखा है सदस्य सुविधा समिति है उन्होंने भी अपना होमवर्क करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है. मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में तीन विधायकों की एक समिति बना लें. उस रिपोर्ट का भी परीक्षण कर ले. वित्त विभाग भी उसे देख ले और उसके बाद उसमें आगे बढें.

तदुपरांत डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुये कहा कि जो प्रस्ताव माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखा है और जैसा आपने मार्गदर्शन दिया है निश्चित रूप से हम सब प्रदेश के विकास के लिये और सभी क्षेत्रों में काम करने के सह-अस्तित्व के साथ ही इस विधान सभा के सभी सदस्यों की तरफ भी ध्यान देते हैं. इस नाते से यह जो आपने प्रस्ताव किया है तो एक माननीय सदस्य नेता प्रतिपक्ष की तरफ से हो जाएगा ओर माननीय वित्त मंत्री जी की मौजूदगी में उनके साथ हमारा एक साथी देकर, एक कमेटी बना कर, निश्चित रूप से आगामी बजट तक इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे.

22. प्रमुख सचिव सेवा उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को 2 सूचनाओं से अवगत कराते हुये कहा गया कि विधान सभा के मानसरोवर सभागार में आज कृष्णायन नाटिका का मंचन होगा तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष जी और बाकी सभी सदस्य भी उपस्थित रहे.

दूसरी सूचना यह है कि हमारे प्रमुख सचिव श्रीमान ए.पी.सिंह जी काफी लंबे समय से हम लोगों के साथ काम कर रहे थे, अब वह अगले माह सेवानिवृत्ति की ओर जा रहे हैं. मैं समझता हूं कि उनका कार्यकाल, जब हम लोग प्रतिपक्ष में थे तब से देख रहे हैं और लगातार उनकी गंभीरता और सहयोगात्मक भावना की सभी सदस्य भी प्रशंसा करते हैं. उनकी सेवाएं निश्चित रूप से विधान सभा के लिए उत्कृष्ट रही हैं. मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं.

23. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाना : प्रस्ताव

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को यह प्रस्ताव किया कि – "विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिए निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक शासकीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12- ख के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

24. राष्ट्रगान

'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

25. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना : घोषणा

अपराह्न 7:24 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक : 6 अगस्त, 2025